

सरवर्क

2021

राजस्थान सरकार

419

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	एगम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
पा० पत्र	341 2021	15-12-21	नया खेडा (ख० खेडा)			

अनवान

श्री सर्वो केरवा बनाम श्री राज० सरकार
मिवासी नया खेडा



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेसपो.


कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रत्येकपक्षी -

निवेदन है कि खालेदार की जारी चमार दर्ज रिपोर्ट
है जिसे खूँवा किया जाना उचित है

प्रमाण की रिपोर्ट उचित है


25/10/21


25/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

शुद्ध किया जाना उचित है

25/10/21

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेडा जिला बनेडा

आदेश

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार
नाम शुद्ध किया जावे।

1380
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प [redacted] शुद्ध

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी [redacted] व भूअ.नि. [redacted] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] /नायब तहसीलदार [redacted] की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] व जिला [redacted] की जमाबन्दी संवत् 2028 में खाता संख्या [redacted] में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	नघाण्डेडा	181	खमर	[redacted]

586
शिविर प्रमारी
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग
लोक अदालत
अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक:- 93

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार [redacted] को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री [redacted] को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

586
शिविर प्रमारी
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,